3645 1088

0JDD 225113

## पट्टा – विलेख

कुल स्टाम्प रूपये 92600/– (रूपये बानवें हजार छः सौ मात्र)

यह स्टाम्प रूपया 25000/– (पच्चीस हजार रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रह्मपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शैक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न है।

सचिव

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर, मेरठ

विक्रेता
अधिशासी अभियन्ता

क्रेता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर, मेरठ

शशि प्रकाश शर्मा

कृष्णा सैफायरनगर सोसाइटी … मास्टर कॉलोनी द्वारा प्रबंधक श्री शशी …

नि. शुल्क … 1,25,650/- … 5020/- … 500/-

श्री/श्रीमति श्री युवराज कुमार …
निवासी …
ने लेख-पत्र एवं निष्पादन … …
दिनांक 19.6.2001 को … दिन में …
निबंधन हेतु प्रस्तुत किया।

19.6.01

S.P. Sharma

निबंधन

श्री सुमन कुमार शर्मा …

ने लेख इस ता. 17.3.2001

मेरे समक्ष … करके स्वीकार किया जिनकी पहचान

श्री … पुत्र श्री …
निवासी …
व श्री अशोक कुमार … Advocate
निवासी …

19.6.01

S.P. Sharma

भारतीय गैर न्यायिक

बीस हज़ार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

Rs 20000 रु INDIA NON JUDICIAL Rs 20000 रु

0JCC 230561

पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रुपया 20000/– (बीस हज़ार रुपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

सचिव

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

(अधिशासी अभियंता)

क्रेता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु    बीस हजार रुपये    Rs 20000 रु

INDIA NON JUDICIAL

0JCC 230560

पट्टा - विलेख

यह स्टाम्प रूपया 20000/- (बीस हजार रुपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर--1 में आवंटित शैक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड स0 एन0 एस0--1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा - विलेख के साथ संलग्न हैं।

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut.

सचिव
प्रेसीडेन्सी कालिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी

क्रेता
S.P. Sharma

विक्रेता
(योजना प्रबंधक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कालिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

INDIA NON JUDICIAL

१०००रु. | Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

250208

OFFICE OF THE
Chief Treasury Officer
14 JUN 2001

## पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रुपया 1000/– (एक हजार रुपये मात्र) की जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सेक्टर–1 में आवंटित शैक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

क्रेता

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

विक्रेता
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी

INDIA NON JUDICIAL

२000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते
भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

250209

OFFICE OF THE
Chief Treasury Office
14 JUN 2001

# पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रूपया 1000/– (एक हजार रूपये मात्र) का फाइनल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शैक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

क्रेता

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मे0

विक्रेता
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभि0

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी

INDIA NON JUDICIAL

५००रू. Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

OFFICE OF THE
Chief Treasury Officer
14 JUN 2001
MEERUT

## पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रूपया 500/– (पाँच सौ रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर क्लोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

क्रेता

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

विक्रेता
(पोषित पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs. 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

OFFICE OF THE
Chief Treasury Officer
4 JUN 2001
MEERUT

## पट्टा – विलेख

यह स्टाम्प रूपया 100/– (एक सौ रूपये मात्र) का जनरल स्टाम्प कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी ब्रहमपुरी मेरठ के पक्ष में शताब्दीनगर आवासीय योजना के सैक्टर–1 में आवंटित शक्षिक उपयोगार्थ भूखण्ड सं0 एन0 एस0–1, के निबन्धन हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित पट्टा – विलेख के साथ संलग्न हैं।

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

क्रेता
S.P. Sharma

S.P. Sharma
सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

विक्रेता
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

मे० वि० प्रा० फार्म सं०-9

# आवासिक क्षेत्र में शैक्षिक भवन निर्माणार्थ

## मेरठ विकास प्राधिकरण की भूमि का पट्टा

यह विलेख सन् 2001 ई० के माह 6 ई० 19 वें दिन

को मेरठ विकास प्राधिकरण (जिसे आगे चलकर "प्राधिकरण" कहा गया है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उत्तराधिकारी तथा अभ्यार्पिती सम्मिलित होंगे) प्रथम पक्ष

तथा कृष्णा एजूकेशनल सोसाइटी द्वारा अध्यक्ष श्री शशी प्रकाश शर्मा S/O 1143 मास्टर कॉलोनी ब्रह्मपुरी मेरठ (श्री हरस्वरूप शर्मा)

जिसे आगे चलकर "पट्टेदार कहा गया है, जिस शब्द में जब तक कि प्रसंग से प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रतिविधि तथा अनुमति प्राप्त अभ्यार्पिती सम्मिलित होंगे। दूसरे पक्ष के मध्य लिखा गया।

चूंकि भवनों के निर्माणार्थ भूखण्डों के निस्तारण से सम्बन्धित बनाये गये नियमों के अधीन विकास प्राधिकरण एतत्पश्चात् उल्लिखित शर्तों और प्रतिबन्धों पर मेरठ क्षेत्र के समक्ष अधिकारी द्वारा अनुमोदित सैट बैक तथा रेखाचित्र के अनुसार शैक्षिक भवन के निर्माण हेतु आगे चलकर वर्णित भूखण्ड को पट्टे पर देने और पट्टेदार उसे पट्टे पर प्राप्त करने में सहमत हुए हैं।

अतः यह पट्टे का विलेख निम्न बातों का साक्षी है :—

1. कि रुपये 925650— (लीजरेन्ट सहित) (रुपये शब्दों में) नौ लाख पच्चीस हजार छः सौ पचास मात्र के प्रीमियम के प्रतिफल स्वरूप, जिसमें से रु० 925650.00 (रुपये शब्दों में नौ लाख पच्चीस हजार छः सौ पचास मात्र का भुगतान पट्टेदार द्वारा प्राधिकरण को किया जा चुका है। (जिसकी प्राप्ति प्राधिकरण द्वारा एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है) तथा जिसके बकाये का भुगतान पट्टेदार द्वारा नीचे उल्लिखित किस्तों तथा दिनांकों पर आगे उल्लिखित रीति से किया जायेगा।

S.P. Sharma
सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

तथा एतद्द्वारा आरक्षित किराये और इसमें उल्लिखित प्रसंविदाओं, प्राविधानों तथा अनुबन्धों तथा पट्टेदार द्वारा क्रमशः उनके भुगतान, अनुपालन तथा सम्पादन किये जाने के प्रतिफल संकरण भी, प्राधिकरण एतद्द्वारा मेरठ में शताब्दीनगर में स्थित शैक्षिक प्लाट संख्या 145-L का जिसका क्षेत्रफल 5175.00 वर्ग मीटर या उससे कुछ अधिक या कम होगा और जिसकी सीमांकन निम्न प्रकार है :—

उत्तर की ओर 45 मीटर

दक्षिण की ओर 45 मीटर

पूरब की ओर 115 मीटर

पश्चिम की ओर 115 मीटर

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.

और उस उक्त भूखण्ड की सीमाओं को संलग्न रेखा चित्र में दिखाया गया है और उसमें लाल रंग से रंग दिया गया है, वह सभी भूखण्ड एतद्द्वारा पट्टेदार को पट्टे पर देता है ताकि पट्टेदार उक्त भूखण्ड (जिसे आगे चलकर "पट्टा भूखण्ड" कहा गया है) और उससे सम्बन्ध अधिकारी को दिनांक 19-6-2001 से 90 (नब्बे) वर्ष की अवधि के लिये धारण करे किन्तु प्राधिकरण के पक्ष में निम्नलिखित अधिकार सदैव आरक्षित होंगे:-

(क) यदि प्राधिकरण उक्त क्षेत्र का विकास किया जाना आवश्यक समझे तो पट्टा भूखण्ड के नीचे तथा ऊपर जल सम्वाहक, नालियां, सीवरों या बिजली के तारों को डालने, बनाने या बिछाने के अधिकार।

(ख) पट्टा भूखण्ड या उसके किसी भाग में होने वाले सभी खानों और खनिजों के सम्पूर्ण अधिकार तथा आगम।

(ग) लीज रेन्ट की सम्पूर्ण 90 वर्ष की अग्रिम धनराशि प्राधिकरण कार्यालय में जमा करनी होगी। रू० 8450-00 की धनराशि के किराये का, जो कि दिनांक 2-11-2090 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्त तक के लिये है, भुगतान पहले ही किया जा चुका है जिसकी प्राप्ति एतद्द्वारा स्वीकृत की जाती है।

2. पट्टेदार प्राधिकरण के साथ एतद्द्वारा निम्नलिखित घोषणा तथा प्रसंविदा करता है।

(1) पट्टेदार प्रीमियम का बकाया धनराशि का भुगतान प्राधिकरण को ऊपर खण्ड-1 में वर्णित किश्तों में, उसमें वर्णित दिनांकों के भीतर कर देगा। यदि पट्टेदार किसी किश्त को उसके भुगतान के लिए नियत दिनांक के एक मास के भीतर भुगतान करने में असफल होगा तो वह तत्पश्चात् बकाया किश्त का नियत दिनांक से भुगतान के दिनांक तक 14% प्रतिवर्ष ब्याज की दर सहित भुगतान करेगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि तीन लगातार किश्तों का भुगतान नहीं किया जायेगा तो प्राधिकरण तत्पश्चात् खण्ड-3 में उल्लिखित शास्ति और परिणामों पर इस पट्टे को समाप्त कर सकेगा।

(2) पट्टेदार बिना किसी कटौती के उक्त वार्षिक किराये का भुगतान प्राधिकरण के कार्यालय में या अन्य किसी निर्देशित स्थान पर नियत दिनांकों पर और भुगतान के लिए इस विलेख में वर्णित रीति के अनुसार करेगा और यदि उक्त पट्टे का वार्षिक किराया या उसका कोई भाग बकाया में रह जायेगा तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज तथा खर्च सहित उसकी वसूली कर ले।

(3) पट्टेदार सभी दरों, करों, परिव्ययों और प्रत्येक प्रकार के ऐसे अवधारणों को, जो कि उक्त अवधि में पट्टा भूखण्ड पर या उस पर निर्मित होने वाले भवनों के सम्बन्ध में स्वामी या किरायेदार या अध्यासी पर अवधारित, भारित या आरोपित किये जावें, वहन, भुगतान तथा निस्तारण करेगा।

(4) कि पट्टेदार मेरठ विकास प्राधिकरण और नगर महापालिका मेरठ की वर्तमान या भविष्य में प्रभावी सभी उपविधियों तथा नियमों का पालन एवं अनुपालन करेगा जो स्थावर सम्पत्ति के दखल के सम्बन्ध में प्रासंगिक हों या जो उक्त स्थान के अन्य निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा या सुविधा पर प्रभाव डालते हो।

(5) कि पट्टेदार अपने खर्च से पट्टा भूखण्ड पर प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप से अनुमोदित रेखाचित्र, मानचित्र तथा डिजाइन और स्थिति के अनुसार एक ~~आवासीय~~ शिक्षण भवन का सारभूत एवं शिल्प कौशल रूप में निर्माण करेगा जिसमें भवन, नालियां, शौचालयों तथा सीवर संयोजनों के सम्बन्ध में विहित प्राधिकरण तथा नगर महापालिका विनियमों तथा उपविधियों के अनुसार सभी आवश्यक सीवरों, नालियों तथा अनुलग्नकों का निर्माण होगा।

(6) कि पट्टेदार सदैव प्राधिकरण के सन्तोषानुसार पट्टा भूखण्ड तथा भवनों को अच्छी और सारभूत मरम्मत की दशा में रखेगा और उन्हें स्वच्छ दशा में रखेगा।

शै/ क्षम

S.P. Sharma    S.P. Sharma

MANAGER
PRESIDENCY PUBLIC SCHOOL

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

PRESIDENCY PUBLIC SCHOOL
Sector-1, Shatabdi
MEERUT - 250

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(15) यदि अग्नि, तूफान, बाढ़ या सेना या अनियन्त्रित भीड़ द्वारा किये गये हिंसापूर्वक कार्यों या अन्य अप्रतिरोध्य शक्ति प्रयोग के कारण पट्टा भूखण्ड का कोई सारभूत भाग पूर्णतया या आंशिक रूप से नष्ट हो जाये या वह भवन प्रयोजनार्थ सारभूत रूप से या स्थायी रूप से अनुपयुक्त हो जाये तो ऐसी दशा में पट्टेदार न तो इस पट्टे को समाप्त करने के अपने विकल्प को काम में लायेगा और न ही उनके कारण हुई क्षति की पूर्ति कराने के उद्देश्य से प्राधिकरण को उत्तरदायी ठहरायेगा ।

(16) यह कि पट्टेदार को पट्टा भूखण्ड पर दिनांक ...1-11-2005... तक भवन का निर्माण करना और उसे पूरा करना आवश्यक होगा । पट्टेदार द्वारा निर्माण कार्य पूरा कराये जाने में असफल रहने के परिणाम स्वरूप प्राधिकरण को अधिकार होगा कि पट्टा निरस्त करके पट्टा भूखण्ड को वापिस प्राप्त कर लें ।

3 और इस विलेख के पक्षों द्वारा तथा उनके बीच एतद्द्वारा निम्नलिखित सम्बन्ध में सहमति और घोषणा की जाती है :—

(क) इसके पूर्व किसी बात के अन्यथा होते हुए भी, यदि प्राधिकरण के मतानुसार (जिसका निर्णय अन्तिम तथा बाध्यकर होगा) पट्टेदार अथवा उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा इससे पूर्व की शर्तों प्रसंविदाओं में से किसी का उल्लंघन किया गया हो, जिनका पालन तथा सम्पादन किया जाना कर्तव्य था विशेषतया और इस उपखण्ड की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि पट्टेदार पूर्वोक्त प्राविधान के अनुसार सम्पूर्ण पट्टा भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के पूर्व पट्टा भूखण्ड का अन्तरण, परित्याग, बन्धक या अभ्यर्पण करता है या पूर्वोक्त खण्ड 2 (1) में उल्लिखित अवधि के भीतर इस विलेख में उल्लिखित प्रीमियम की किसी किश्त का भुगतान नहीं करता है या यदि पट्टेदार या कोई ऐसा व्यक्ति जिसमें इस पट्टे का अधिकार एतद्द्वारा निहित किये गये हों दिवालिया निर्णीत हो तो प्राधिकरण के लिये यह वैध होगा कि (अनुबन्ध के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही करने के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) वह पट्टा भूखण्ड या उनके किसी भाग पर अन्तरित सम्पूर्ण भूखण्ड के नाम पर पुनः प्रवेश कर ले और यह पट्टा समाप्त हो जायेगा और तत्पश्चात् :—

(1) यदि पुनः प्रवेश के समय पट्टा भूखण्ड पर पट्टेदार द्वारा भवन का निर्माण नहीं किया गया हो तो ऐसी दशा में प्राधिकरण पट्टा भूखण्ड का पुन आवंटन कर सकेगा और इस पट्टे को समाप्ति या पट्टेदार द्वारा अभित्यजन जैसी भी स्थिति हो, के दिनांक तक प्रीमियम की सभी किश्तों पर देय सम्पूर्ण ब्याज तथा पट्टे के किराये के बकाये को काटकर और साथ ही कुल उपरिलिखित प्रीमियम का 5 प्रतिशत काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज पट्टेदार को लौटा देगा पर उपरोक्त इस शर्त के अधीन होगा कि न्यूनतम काटी गयी धनराशि 250/- रुपये से कम न होगी ।

(2) यदि पुन प्रवेश के समय, पट्टेदार द्वारा पट्टा भूखण्ड पर किसी भवन का निर्माण किया गया हो, तो पट्टेदार पुन प्रवेश के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर उस पर से सभी निर्माण कार्य भवनें जुड़नार तथा वस्तुयें जो किसी समय या उक्त अवधि के दौरान उक्त भूखण्ड पर या उससे जुड़ी या लगाई गई हो, हटा लेगा और उक्त स्थान को ऐसी अच्छी दशा में लायेगा जैसे कि वह पट्टा देने के समय थी पर उपरोक्त के सम्बन्ध में चूक किये जाने पर उक्त भूखण्ड और उस पर होने वाले भवनें, जुड़नार और वस्तुओं के सम्बन्ध में पट्टेदार को किसी प्रतिकर का भुगतान किए बिना प्राधिकरण की सम्पत्ति हो जायेगी यदि पट्टेदार पूर्व निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्माण कार्यों भवनों, जुड़नारों और वस्तुओं को हटा लेता है तो पट्टा भूखण्ड का पुनः आवंटन कर दिया जायेगा और पट्टेदार को उपरोक्त उपखण्ड (1) में दिये हुए सिद्धान्तों के अनुसार निकाली गयी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्राधिकरण अपने विवेकानुसार उनके लिये पट्टेदार से उक्त निर्माण कार्यों, भवनों और जुड़नारों का क्रय करने के लिए और भूमि में होने वाले हितों को क्रय करने के लिए सहमत हो सकेगा जैसा कि दोनों के बीच पारस्परिक सहमति हो जाये ।

(ख) यदि प्राधिकरण को पट्टेदार द्वारा या उनके माध्यम या अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा पूर्वोक्त शर्तों के उल्लंघन के कारण भूखण्ड का नया पट्टा स्वीकार करने के कारण कोई हानि वहन करनी पड़ती है तो ऐसी हानि की वसूली प्राधिकरण द्वारा पट्टेदार से की जा सकेगी ।

(ग) यदि इस विलेख के अधीन किसी नोटिस दिये जाने की अपेक्षा की गयी हो, तो वह उस दशा में पट्टेदार पर दी गई यह पर्याप्त समझी जायेगी जबकि वह प्राधिकरण के कार्यकारी प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो और उस पट्टा भूखण्ड पर छोड़ दिया गया हो और प्राधिकरण के किसी निर्णय की अधिसूचना को, ऐसे निर्णय का पर्याप्त साक्ष्य उस दशा में समझा जायेगा जबकि उस पर प्राधिकरण के कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर हों ।

(प्रमोदी ...)
अधिशासी अभियन्ता

MANAGER

Secretary
Presidency College of Education & Te...
Shatabdi Nagar, Meerut

PRINCIPAL
Secretary
Presidency College of Educ...
Shatabdi Nagar, Me...
MEERUT - 2...

(घ) यह भी पक्षों को स्पष्ट किया जाता है कि प्राधिकरण के द्वारा द्वितीय पक्ष के अधिक धन, जो भूखण्ड अथवा उस पर निर्माण की अन्तिम मूल्य की गणक होने के पश्चात सम्भावित मूल्य बढ़ने पर मांगा जा सकता है। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एक मात्र जज होगें यह तय करने के लिए कि कितना और अधिक धन द्वितीय पक्ष द्वारा देय है। द्वितीय पक्ष को प्राधिकरण अथवा उपाध्यक्ष के द्वारा दिये गये निर्णय को किसी प्रकार चुनौती देने का अधिकार नही होगा और उनके द्वारा दिया गया यह निर्णय अन्तिम होगा।

(च) भविष्य मे यदि न्यायालय द्वारा तथा अन्य किसी कारणों से भू प्रतिकर की धनराशि बढ़ने से भूखण्ड की कीमत में वृद्धि होती है तो वह आवंटी के द्वारा देय होगी तथा आवंटी इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दावा दायर नहीं करेगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख के पक्षों ने ऊपर उल्लिखित दिवस तथा वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर किये।

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

साक्षी : (1) राजीव प्रकाश शर्मा, 954 मास्टर कालोनी
S/o श्री रमेश चन्द्र शर्मा
ब्रह्मपुरी मेरठ।

(योगेश पाठक) सचिव
अधिशासी अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ
प्राधिकरण की ओर से

S.S. Sharma
साक्षी :

S.P. Sharma
सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

साक्षी : D. Sharma
दीपक शर्मा S/o श्री ... शर्मा
... मेरठ

S.P. Sharma
पट्टेदार

साक्षी : ... शर्मा S/o श्री महेन्द्र पाल शर्मा
751 ब्रह्मपुरी, मेरठ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रत्येक प्रकार से मूल की सही तथा शुद्ध प्रति है।

पट्टेदार S.P. Sharma

(योगेश पाठक) सचिव
अधिशासी अभियन्ता
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
[illegible] कॉलिज ऑफ
[illegible] टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

# SITE PLAN OF NS-1 SHATABDI NAGAR

EAST = 115.00 M
WEST = 115.00 M
NORTH = 45.00 M
SOUTH = 45.00 M.

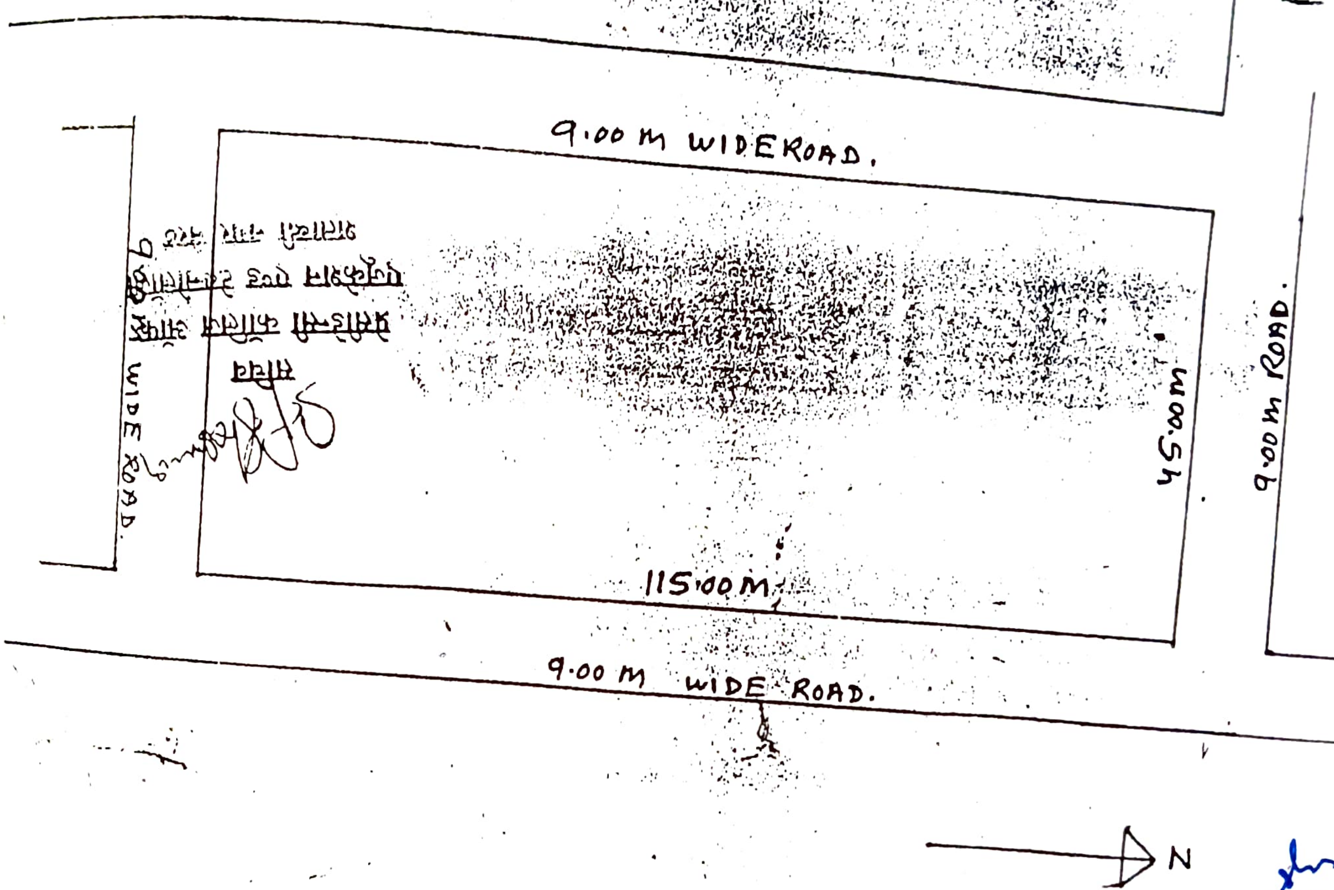


Secretary
Presidency College of Education
Shatabdi Nagar, Meerut

(J.E.)

(A.E.)

(E.E.)
(योगेश पाठक)
अधिशासी अभियन्ता

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
कॉलिज ऑफ
टेक्नोलॉजी

# रजिस्ट्रेशन अधिनियम – 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस्

प्रस्तुतकर्ता/विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : राजीव शर्मा S/o रमेश चन्द्र शर्मा
प्रेसीडेन्सी कालेज आफ एजूकेशन एन्ड टेक्नोलोजी
शताब्दी नगर, मेरठ।

बायें हाथ के अंकुलियों के चिन्ह :–

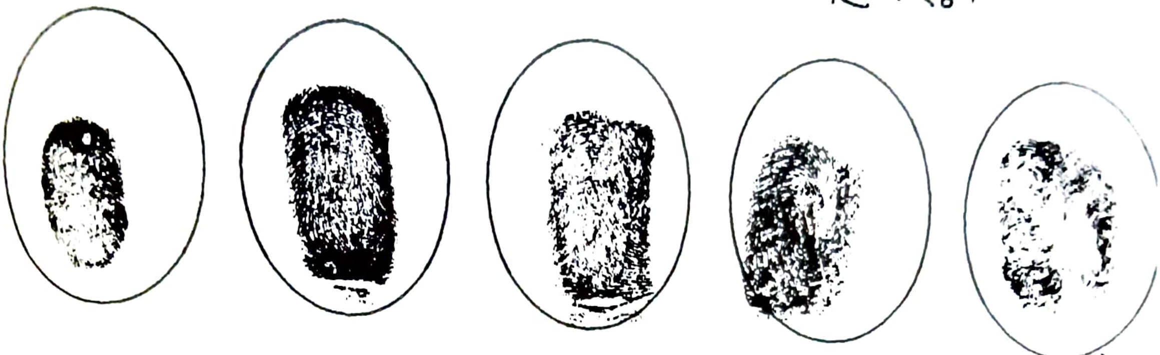

दाहिने हाथ के अंकुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता/क्रेता का नाम व पता : ........................................................................................

........................................................................................................................

बायें हाथ के अंकुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंकुलियों के चिन्ह :–

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये Rs. 500

सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

1 8 JUL 2008

# ओ३म्- लीजडीड अवधि 30 वर्ष

(स्टाम्प अंकन 600/- छः सौ रूपये)

श्री कृष्णा एजूकेशनल सोसायटी द्वारा प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी 1143 मास्टर कालोनी, ब्रहमपुरी, मेरठ शहर --------- प्रथमपक्ष (पटटादाता)।।

पक्ष मे

प्रेसीडेन्सी कालिज आफ एजूकेशनल द्वारा कालिज कमेटी के उपाध्यक्ष श्री राजीव प्रकाश पुत्र स्व० श्री रमेशचन्द शर्मा निवासी 954, मास्टर कालोनी, ब्रहमपुरी, मेरठ शहर------------- द्वितीयपक्ष(पटटा ग्रहिता)

---------

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉ
शताब्दी नगर मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

Secretary ... ch.
Presidency College ...
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कालिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोला
शताब्दी नगर मेरठ

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PR

ATTESTED

21 JUL 2008

L 907157

Anil Sharma
Registry Compound, Kutchery
Meerut (U.P.)

:: 2 ::

जो कि एक अहाता/कालिज बिल्डिंग नम्बर एन एस-1 रकबई 5175 वर्गमीटर स्थित शताब्दी नगर, एम०डी०ए० कालोनी, मेरठ शहर उक्त सम्पत्ति के प्रथमपक्ष लेखपत्र लिखित दिंनाक 19-06-2001 ई० दस्तावेज नम्बर 3645 इकरारी एम०डी०ए बनाम प्रथमपक्ष द्वारा रिक्त भूमि क्रयकर तत्पश्चात अपनी लागत से निर्माणकर व्यक्तिगत स्वामी व किसी भी व्यक्ति संस्था आदि को किरायेपर देने के अधिकारी है और प्रथमपक्ष की ओर से उक्त सम्पत्ति आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्त एवं रहित है, तथा प्रथमपक्ष सोसायटी की प्रवन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव पास करके सोसायटी के प्रबन्धक श्री शशी प्रकाश शर्मा को उक्त सम्पत्ति लीज पर द्वितीयपक्ष को निम्न शर्तों पर देने के लिए अधिकृत किया गया है तथा द्वितीयपक्ष ने उक्त

सचिव
प्रेसीडेन्सी कालिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

S.P. Sharma

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलाजी
शताब्दी नगर मेरठ

सम्पत्ति सम्पूर्ण को उक्त संस्था के लिये शिक्षण कार्य हेतू तीस वर्ष के लिये लीज पर लेने की ख्वाईश प्रथमपक्ष से की है तथा प्रथम पक्ष ने निम्न शर्तो के आधीन उक्त सम्पत्ति को तीस साल के लिये द्वितीयपक्ष को लीज पर देना निश्चित किया है। अतः दोनो पक्ष व उनके उत्तराधिकारी निम्न धाराओ के पाबन्दं रहेगे:-

1- यहकि लीज दिंनाक 01-04-2008 ई. से प्रारम्भ हो गयी है, तथा लीज का प्रत्येक वर्ष, वर्ष की 01 अप्रेल से शूरू होकर अगले वर्ष की 31 मार्च को पूरा हुआ करेगी तथा लीज साल दर साल तीस साल तक चलती रहेगी।

2- यहकि उक्त सम्पत्ति का किराया दोनो पक्षों में अंकन 1000/- रूपये प्रतिवर्ष तय पाया है, जिसे द्वितीयपक्ष प्रति वर्ष प्रथमपक्ष को देने के पाबन्द व जिम्मेदार रहेगें, तथा उक्त लीज की अवधि 01-04-2008 से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा प्रत्येक साल अप्रेल माह की सात तारीख तक द्वितीयपक्ष हर हालत मे किराया अदा कर दिया करेगें।

3- यहकि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति पर बजरिये किरायेदार अपना कब्जा दिनाक 01-04-2008 को कर लिया है, तथा द्वितीयपक्ष को उक्त भूमि पर अपनी आवश्यकतानुसार निर्माण करने व अपनी आवश्यकतानुसार इच्छानुसार उक्त सम्पत्ति को इस्तेमाल करने व संस्था के लिये कार्य करने व शिक्षण कार्य करने, उसमे कोई भी कोर्स कराने, या अन्य शिक्षण कार्य करने, सम्पत्ति मे स्कूल, कालिज चलाने आदि के समस्त अधिकार प्राप्त रहेगे तथा द्वितीयपक्ष ने उक्त भूमि मे स्कूल को चलाने हेतु उक्त भूमि को किराये पर लिया है।

4- यहकि लीज 01-04-2008 से तीस वर्ष तक रहेगी, तथा उक्त अवधि में कोई किराया नही बढाया जायेगा।

S. P. Sharma

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

S. P. Sharma
सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉ
शताब्दी नगर मे

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज
एजूकेशन एण्ड टेक्न
शताब्दी नगर मे

5- यहकि उक्त सम्पत्ति पर बिजली व पानी आदि अन्य देय जो द्वितीयपक्ष की किरायेदारी/लीज के कारण द्वितीयपक्ष द्वारा उक्त सम्पत्ति को प्रयोग करने के कारण होगें उन्हें द्वितीयपक्ष ही अदा किया करेंगे, तथा द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह शिक्षण कार्य व स्कूल व कालिज आदि के सम्बन्ध में कोई भी नव निर्माण कराये, कनेक्शन नल व बिजली का ले, व टैक्स अदा करें, प्रथमपक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

6- यहकि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति को अपने प्रयोग में शिक्षण कार्य के लिए ही लायेगें, अन्य कोई कार्य नही करेगें तथा किसी अन्य को शिकमी किरायेदार नही रखेगे।

7- यहकि लीज की अवधि पूरी होने पर द्वितीयपक्ष उक्त भूमि पर अपने द्वारा किये गये निर्माण को उठा लेगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी, तथा तीस साल अवधि पूरी होने पर किरायानामा स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

8- यहकि लीज की अवधि में अन्तर्गत धारा 108 बी० जे० ट्रांसफर आफ प्रोपर्टी एक्ट के अनुसार द्वितीयपक्ष किरायेदार को अधिकार होगा कि वह किसी भी बैंक या संस्था को भूमि के लीज राईट व निर्माण के स्वामित्व राईटस को मोरगेज करें, इसके लिये प्रथम पक्ष की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

9- यहकि लीज अवधि के अन्दर प्रथमपक्ष को जबतक बैंक या वित्तीय संस्था का ऋण अदा नही हो जायेगा लीज समाप्त करने का अधिकार नहीं होगा, अर्थात लीज अवधि के अन्दर प्रथम पक्ष किसी भी सूरत में लीज समाप्त नही करेंगे।

10- यहकि द्वितीयपक्ष उक्त सम्पत्ति में शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्य हेतु जैसे कि कालेज चलाने की स्वीकृत सम्बन्धी समस्त विभागों से लेने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभायेगे तथा हर प्रकार की कार्यवाही कराने का अधिकार द्वितीय पक्ष को प्राप्त रहेगा जिसमे प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ एजूकेशन एण्ड टैक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

11- यहकि उपरोक्त धाराओं का दोनो पक्ष पूर्ण रूप से पालन करेगें अतः यह किरायानामा अवधि 30 तीस वर्ष लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो। इति।।

सीमायें उक्त सम्पत्ति ।

पूरवः- 115 मीटर पश्चात रास्ता नो मीटर चौडा।।
पश्चिमः- 115 मीटर पश्चात रास्ता नो मीटर चौडा।।
उत्तरः- 45 मीटर पश्चात रास्ता नो मीटर चौडा।।
दक्षिणः- 45 मीटर पश्चात पार्क।।

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

Secretary
Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

लिखित दिनांक 24-07-2008 मसविदा व फोटो सत्यापान श्री अरूण शर्मा एडवोकेट मेरठ।।

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी

::6::

# रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32-ए, के अनुपालन हेतु फिंगर्स प्रिन्टस

प्रस्तुतकर्ता का नाम व पता श्री शशी प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा निवासी ६५४ मास्टर कालोनी, ब्रहमपुरी, मेरठ शहर

बाये हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

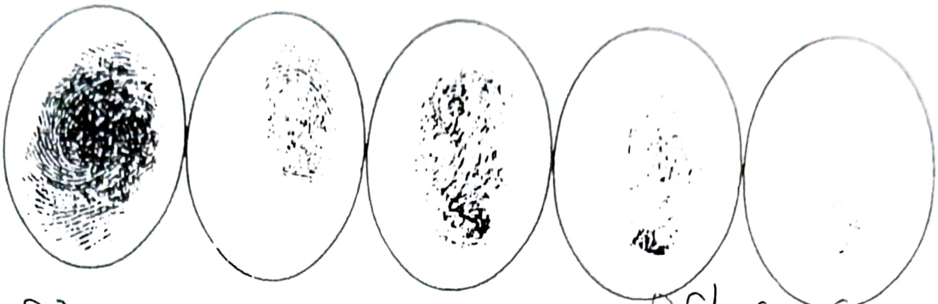

दाहिने हाथ की अंगुलियो के चिन्ह:-

प्रस्तुत कर्ता का नाम पता श्री राजीव प्रकाश पुत्र स्व० श्री रमेशचन्द शर्मा निवासी १-१४३ मास्टर कालोनी, ब्रहमपुरी, मेरठ शहर

वायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह:-

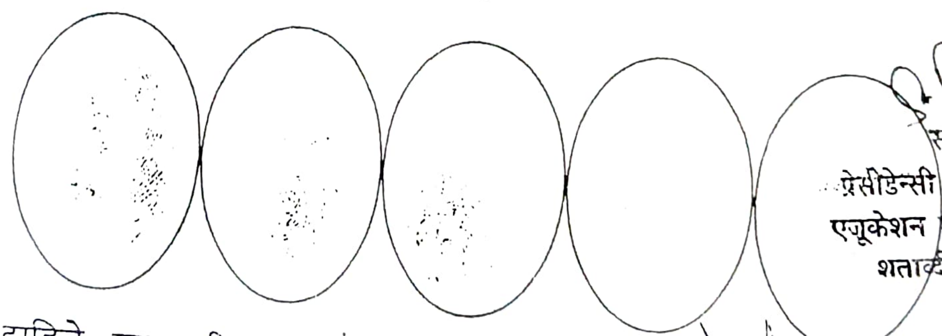

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी
शताब्दी नगर मेरठ

दाहिने हाथ की अंगुलियो के चिन्ह:-

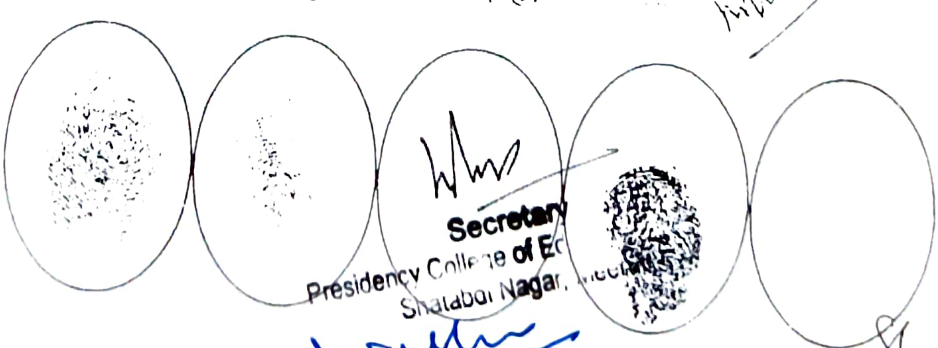

Secretary
Presidency College of Ed...
Shatabdi Nagar, Meerut

Presidency College of Education & Tech.
Shatabdi Nagar, Meerut

सचिव
प्रेसीडेन्सी कॉलिज ऑफ
एजूकेशन एण्ड टेक्नोलॉजी

पट्टा गृहीता

Registration No 7556 Year 2008 Book No

0201 प्रसीडन्सी कालिज आफ अनू0 द्वारा कमेटी उपा0 राजीव प्रकाश

शर्मा

कालोनी ब्रह्मपुरी मेरठ